प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **105/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Pratik Roat Add: Khirni, Dungarpur Raj.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329962214528803 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तंथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/105/25/656–57 दिनांक 02.07.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6365406340 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्रांक 643–45 दिनांक 07.07.2025 से लिखा गया।

प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 6143–6147 दिनांक 15.07.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 6143–6147 दिनांक 15.07.2025 से अपीलार्थी को जवाब/सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर